भारतीय गैर न्यायिक

Rs.20000 रु.

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

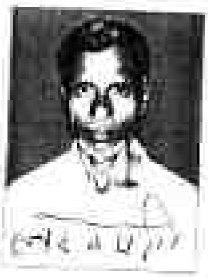

विक्रय विलेख

विक्रय मूल्य	: रु0 6,03,900/-
बाजारू मूल्य	: रु0 6,03,900/-
स्टाम्प शुल्क	: रु0 60,400/-
परगना	: बिजनौर

यह विक्रय विलेख सतीश कुमार पुत्र शिवनाथ (अवयस्क) द्वारा संरक्षिका माता व स्वयं श्रीमती रुकाना पत्नी स्व0 शिवनाथ व निवासी– ग्राम– मुजफ्फर नगर धुसवल, परगना–बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ जिन्हे आगे विक्रेता

2-6-06

2-6-06

नौरकारी

8660396L

5000+ ... = 5054

... हकाना पुत्र/पत्नी श्री शिवनाथ

पेशा गृहणी निवासी ... नगर ...

ने यह लेखपत्र कार्यालय उपनिबंधक, लखनऊ

में आज दिनांक 3-6-06 समय ...

बजे मुलाहिजा नकल करने हेतु प्रस्तुत किया।

(यू० के० श्रीवास्तव)

उप निबन्धक-प्रथम

लखनऊ

3-6-06

नि.श्री हकाना

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून

के प्रतिफल ... प्रलेखानुसार

पाकर उक्त श्री हकाना ... साक्षी

स्वीकार किया।

... पत्नी S/ पूरन ... R/o

प्रलेखानुसार स्वीकार किया

भारतीय गैर न्यायिक
Rs.20000रु. Rs.20000रु.
बीस हजार रुपये
RUPEES
20000
रुपये
Rs.20000रु. INDIA NON JUDICIAL Rs.20000रु.

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

कहा गया है, एवम् लखपती पुत्र पूरन कोरी निवासी-ग्राम मिर्जापुर, मिटारी, पोस्ट-नौगाँव, जिला फतेहपुर, जिसे आगे क्रेता कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

यह कि विक्रेता भूमि खसरा 350 रकबा 0.549 हेक्टेअर स्थित ग्राम मुजफ्फर नगर घुसवल, परगना-बिजनौर, तहसील व जिला, लखनऊ मालिक, कामिल व काबिज है तथा उपरोक्त सत्यापित षटवार्षिक खाता खतौनी क्रम संख्या 218 के अनुसार विक्रेता के नाम का अमल दरामद राजस्व अभिलेखों में हो गया है। विक्रेता अपना सम्पूर्ण हिस्सा क्रेता को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय

श्री ... ... लखनऊ
... 7-6-06
दिनांक ... 2006 ...
मूल्य ... ... रुपये
नाम ... सुरेन्द्र
द्वारा ...
ह० रजिस्ट्रार

अनुज्ञा पहचान श्री सन्तोष तिवारी
पुत्र श्री सुरेन्द्र तिवारी पेशा व्यापार
निवासी एस. 13 जयहिन्द कॉम्प्लेक्स लखनऊ
व श्री कमलेश कुमार व्यापार
पुत्र श्री ओम प्रकाश
निवासी बरौना लखनऊ
(शुभ के० श्रीवास्तव),
उप निबन्धक-प्रथम
लखनऊ
3-6-06

नि के हस्ताक्षर

आर के पल्लवी

कमलेश कुमार

समस्त माल कालिका के निशान
नीचे नियमानुसार लिये गये हैं।
(शुभ के० श्रीवास्तव)
उप निबन्धक-प्रथम
लखनऊ
3-6-06

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 20000 रुपये

कर रहा है विक्रेता उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, कामिल व काबिज है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है, और यह कि विक्रेता यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेता ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नही किया है। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अर्न्तगत विवाद का वस्तु विषय नही है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेता के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नही

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

है, एवं विक्रेता को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सहमति के फलस्वरूप रू0 6,03,900/- (रूपया छः लाख तीन हजार नौ सौ रूपया) के प्रतिफल में जिसका कि उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेता की इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेता यहाँ स्वीकार करते हैं, तदानुसार उक्त विक्रेता उक्त क्रेता के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त मे अनुसूची के अर्न्तगत दिया गया है, को कतई बेच दिया है, एवं विक्रेता ने

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को बखूबी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेता तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेता ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेंगे। विक्रेता उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे। और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

कोई भाग विक्रेता के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जाये तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेता की चल, अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर ले। उस स्थित में विक्रेता एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेता भुगतान व वहन करेगें, विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम मुजफ्फर नगर घुसवल, अर्धनगरीय क्षेत्र के विशिष्ठि ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए

निर्धारित सरकिल रेट रू0 11,00,000/– प्रति हेक्टेयर के हिसाब से विक्रीत भूमि 0.549 हेक्टेअर की मालियत रू0 6,03,900/– होती है, चूंकि विक्रय मूल्य, भूमि की बाजारू मूल्य बराबर है इसलिए नियमानुसार बाजारू मूल्य पर ही रू0 60,400/– जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। इस भूमि में कोई कुआँ, तालाब, व निर्माण आदि नही है, तथा 200 मी0 के अर्धव्यास मे कोई निर्माण नही है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नही है। विक्रीत भूमि सुल्तानपुर रोड से लगभग दो किलोमीटर व शहीद पथ से 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित हैं। विक्रेता व क्रेता दोनो अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस विक्रय विलेख के निबन्धन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

परिशिष्ट : विवरण विक्रयशुदा सम्पत्ति का विवरण

भूमि खसरा 350 रकबा 0.549 हेक्टेअर स्थित ग्राम मुजफ्फर नगर घुसवल, परगना–बिजनौर, तहसील व जिला, लखनऊ जिसकी चौहद्दी निम्न है।

खसरा न0 350 रकबा 0.549 हेक्टेअर

उत्तर	: खसरा संख्या– 348, 347, 372
दक्षिण	: खसरा संख्या–351
पूरब	: खसरा संख्या–340, 344
पश्चिम	: खसरा संख्या–366, 369, 370

परिशिष्ट : भुगतान विवरण

1. विक्रेता नें रू0 5,00,000/– (रूपया पाँच लाख मात्र) द्वारा चेक संख्या–450545 दिनांकित 02.06.2006 पंजाब नेशनल बैंक, हजरतगंज, लखनऊ क्रेता से प्राप्त किये।

2. विक्रेता नें रू0 1,03,900/– (रूपया एक लाख तीन हजार नौ सौ मात्र) द्वारा चेक संख्या–450546 दिनांकित 02.06.2006 पंजाब नेशनल बैंक, हजरतगंज, लखनऊ क्रेता से प्राप्त किये।

कुल विक्रय मूल्य विक्रेता को रू0 6,03,900/– (रूपया छः लाख तीन हजार नौ सौ रूपया) क्रेता से प्राप्त हुए तथा जिसकी प्राप्ति विक्रेता स्वीकार करते हैं।

लिहाजा यह विक्रय पत्र हम विक्रेता ने क्रेता के पक्ष में समक्ष गवाहान बिना किसी जोर दबाव के, व स्वस्थ चित्त व मन की दशा में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आयें।

लखनऊ
दिनांक: 02.06.2006
गवाह
1.

विक्रेता

2.

क्रेता

टाईपकर्ता

(राम सनेही)

मसविदाकर्ता

(बेंकट रमण सिंह)
एडवोकेट

ग्राम [illegible] परगना बिजनौर – तहसील व
जिला – लखनऊ

खसरा संख्या – ३६०
रकबा – ०.५४९ हे०

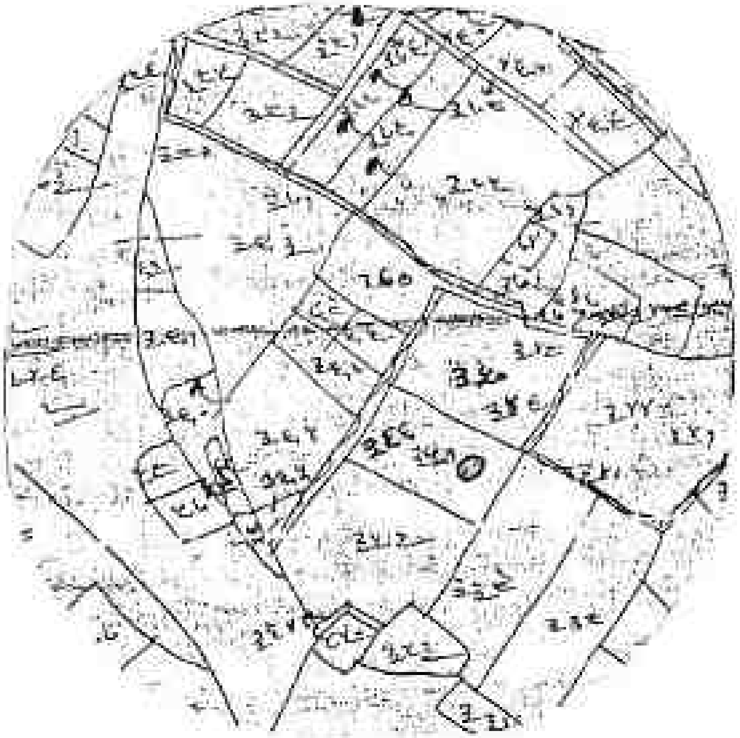

विक्रेता

क्रेता

रजिस्ट्रेशन अधि0 1908 की धारा - 32 ए0 के अनुपालन हेतु,

फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता नाम व पता :- [illegible]

बायें हाथ के अगुलियों के चिन्ह :-

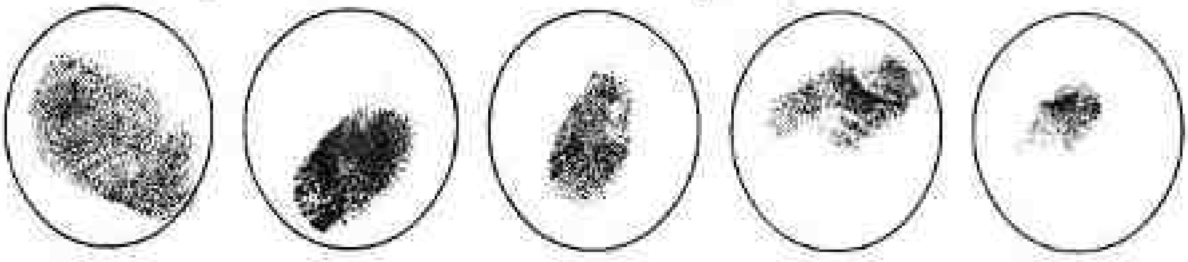

दाहिने हाथ के अगुलियों के चिन्ह :-

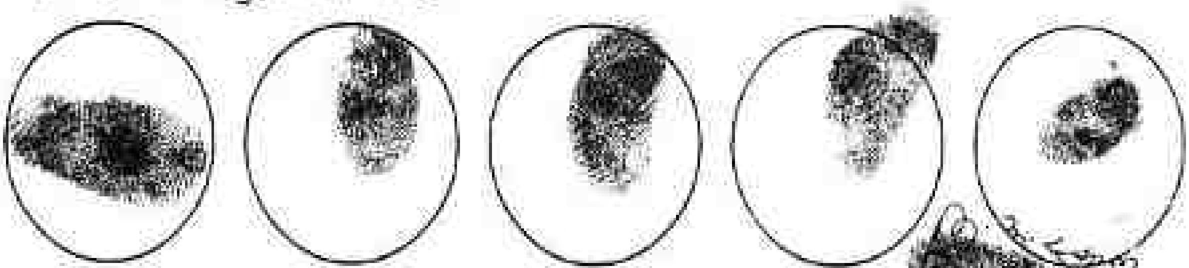

[illegible]

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता / क्रेता नाम व पता :- [illegible]

बायें हाथ के अगुलियों के चिन्ह :-

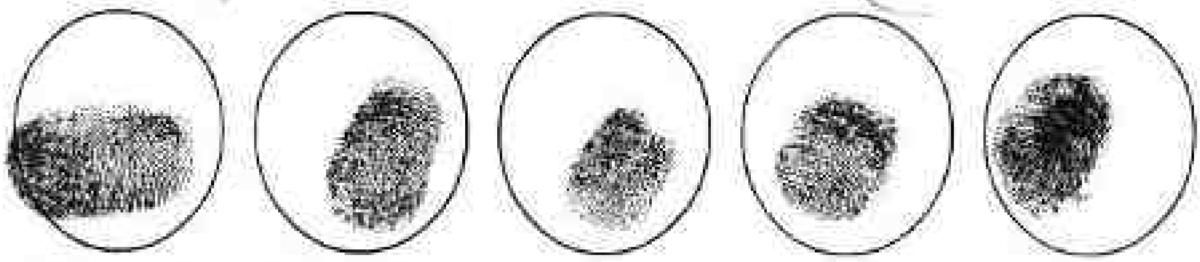

दाहिने हाथ के अगुलियों के चिन्ह :-

विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर

[illegible]

आज दि० 9/4/06 को
पुस्तक संख्या 2 खण्ड 7614 के
पृष्ठ सं० 315/339 पर क्रम संख्या 4716
रजिस्ट्री कृत किया गया।

(ए० के० श्रीवास्तव)
उप निबन्धक–प्रथम
लखनऊ